

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

:: दिनांक 26.03.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की

बैठक का कार्यवाही विवरण ::

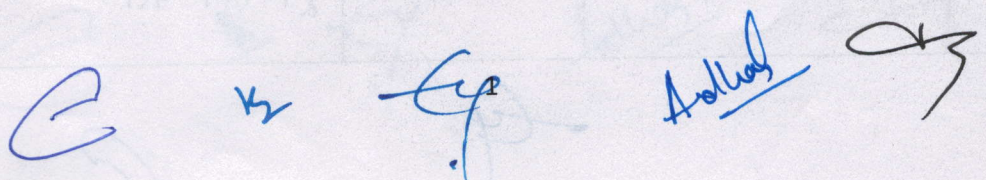
राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 26.03.2025 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री रूपिन्दर सिंघ,
अति.महानिदेशक पुलिस,
कारागार, राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 2. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्रीमति अनुराधा गोगिया
संयुक्त शासन सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री सत्यपाल जांगिड़,
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 5. श्री जगमोहन मित्रुका,
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 1078 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में से 156 प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार किया गया जिसमें 01 न्यायालय प्रकरण पर पृथक से निर्णय लिये जाने पर शेष 155 प्रकरणों पर समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-3 (छ) की शर्तें पूर्ण करने पर नियम 4 (ख)(ग) के तहत निम्नांकित बंदियों को पात्र पाये जाने पर समिति द्वारा इन बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-



(अ) सामान्य स्वीकृत प्रकरण :-

क्र.सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	कृष्ण सिंह पुत्र मानसिंह	के.का.अलवर	फरारी के बाद पुनः जेल दाखिल होने पर प्राप्त रेमीशन की गणना के उपरान्त दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर।
2.	गोपाल लाल पुत्र भूरालाल	के.का.जयपुर	-
3.	बजरंग पुत्र मांगीलाल	के.का.कोटा	-
4.	नारायण पुत्र भूरजी	के.का.जयपुर	-
5.	अखेसिंह पुत्र भंवरसिंह	के.का.जोधपुर	-
6.	लक्ष्मण पुत्र मांगीया	के.का.उदयपुर	बंदी के जेल दण्ड की अवधि पूर्ण नहीं, परन्तु आचरण अच्छा होने पर स्थाई पैरोल का प्रकरण कमेटी की प्रवदना पर स्वीकृत हेतु गृह विभाग को भिजवाया हुआ है, के आधार पर।
7.	जसाराम पुत्र श्री हीराराम	के.का.जोधपुर	-
8.	राधेश्याम पुत्र आनन्दीलाल	के.का.कोटा	-
9.	जगाराम उर्फ जगदीश पुत्र रूघनाथराम	के.का.जोधपुर	-
10.	रावजी पुत्र जीवणा	के.का.उदयपुर	-
11.	सांवरा पुत्र शंकर	के.का.अजमेर	-
12.	मोडिया पुत्र झाला	के.का.उदयपुर	-
13.	गोपाल पुत्र रामस्वरूप	के.का.जयपुर	-
14.	जल सिंह पुत्र रामखिलाडी	के.का.भरतपुर	-
15.	विजय कुमार पुत्र प्रभुदयाल	के.का.बीकानेर	-
16.	दिनेश उर्फ फुन्शी पुत्र हरिराम	के.का.भरतपुर	-
17.	हेमराज पुत्र गोवर्धन	जि.का.टोंक	फरारी के बाद पुनः जेल दाखिल होने पर प्राप्त रेमीशन की गणना के उपरान्त दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर।

18.	मानसिंह उर्फ पिकडा पुत्र जगन्नाथ	के.का.उदयपुर	-
19.	गौतम पुत्र अर्जून रेबारी	के.का.अजमेर	-
20.	रोहिताश उर्फ तीती पुत्र बालमुकन्द	के.का.अलवर	-

(ब) ऐसे बंदी जिनकी आयु 25 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक, अविवाहित होने एवं अन्य राज्य के है, वे राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-3 (क)(ज)(ड) के तहत Ordinarily (साधारणतया) खुले शिविर में भेजे जाने के पात्र नहीं होंगे, का प्रावधान है। परन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में बंदियों द्वारा दायर एस.बी./डी.बी. रिट पिटिशन संख्या 19884/2012 सोनू उर्फ रघुवेन्द्र दिनांक 16.01.2013, 2501/2013 राणा उर्फ बिट्टू उर्फ रवि दिनांक 08.04.2013, 2883/2013 दिनांक 27.02.2013 एवं 2167/2024 हंसराज पुत्र कल्याण, घनश्याम पुत्र हंसराज दिनांक 17.01.2025 में दिये गये आदेशों की पालना में संबंधित दण्डित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाला हुआ है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में एक प्रकार के प्रकरण में एकरूपता बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा निम्नांकित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	मेजर सिंह पुत्र जगीन्द्र सिंह	के.का.बीकानेर	-
2.	सोनू पुत्र अशोक जांगिड	के.का.जोधपुर	-
3.	हरभान उर्फ काली पुत्र तेजा	के.का.भरतपुर	-
4.	गणेशराम पुत्र ओबाजी	के.का.जोधपुर	-
5.	रामलाल पुत्र भैराराम	के.का.बीकानेर	-
6.	कन्हैयालाल उर्फ करण पुत्र श्री कालूराम	के.का.जोधपुर	-
7.	बिशन सैनी पुत्र गंगाराम	के.का.अलवर	-

3

2. अस्वीकृत/अग्रेषित प्रकरणों का विवरण:-

वरियता में होने पर भी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग)(घ)(च)(छ) के प्रावधानों के अंतर्गत जो अन्य प्रतिबंधित धारा, जेल दण्ड/फरारी/कदाचार (02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं), 02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित, अन्य विचाराधीन प्रकरण (जमानत नहीं), आदि कारणों से प्रकरणों पर विचार कर साधारणतया व नियम 4 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने/अग्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

(अ) अस्वीकृत प्रकरण:-

क्र.सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	सुनिल पांचाल पुत्र पुरषोत्तम	के.का.कोटा	04 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत नहीं)
2.	बुधाराम पुत्र भीयाराम	के.का.जोधपुर	बंदी जेल में रहते हुये अन्य कैदी पर हमला कर हत्या की जिसका प्रकरण 296/2023 अन्तर्गत धारा 302 न्यायालय में विचाराधीन है एवं मानसिक रोग से ग्रस्त होने के कारण।
3.	सवाई खां पुत्र फैजू खां	जि.का.टोंक	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
4.	गुरबचन सिंह पुत्र दलीप सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	दिनांक 15.11.2023 से 07.12.2024 तक बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा।
5.	बल्भाराम पुत्र घासी राम	उ.सु.का.अजमेर	03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (01 में जमानत नहीं)
6.	रमेश कुमार पुत्र खेमचन्द	के.का.कोटा	दिनांक 10.10.2023 को जेल दण्ड से दण्डित।
7.	विनोद पुत्र तोताराम	के.का.जयपुर	दिनांक 13.06.2024 से 19.06.2024 तक बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा।
8.	आबिद मौहम्मद कुरेशी पुत्र फजलूरहमान	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 03 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित।
9.	सुनिल चावला उर्फ सोनू पुत्र चमनलाल	के.का.जयपुर	दिनांक 26.12.2020 से 30.05.2024 तक खुला बंदी शिविर से फरारशुदा।
10.	गुलाब पुत्र रामभगत	के.का.जयपुर	बंदी खुला शिविर सांगानेर में निरुद्धीकरण के दौरान पुलिस थाना मालपुरा गेट जयपुर में

Handwritten signatures and initials:

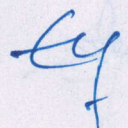
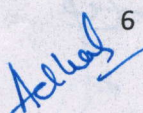
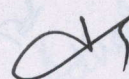
			एफ.आई.आर. नं. 455/ 20.07.2023 अन्तर्गत धारा 323,307,504 आई.पी.सी. दर्ज होने एवं बिना जेसी वारण्ट के दिनांक 21.07.2023 को जेल दाखिल होने के कारण।
11.	विष्णु पुत्र विनोद	के.का.भरतपुर	खुला बन्दी शिविर से दिनांक 17.03.2024 से 25.03.2024 तक फरारशुदा व गूंगा बहरा होने के कारण।
12.	पप्पू मदारी उर्फ पप्पू उर्फ सरताज पुत्र बशीर खान उर्फ रामकिशन	के.का.कोटा	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
13.	सिकन्दर पुत्र लेडाराम	के.का.श्रीगंगानगर	खुला बन्दी शिविर से दिनांक 13.04.2007 से 26.08.2023 तक फरारशुदा।
14.	विजय पुत्र रामपाल	के.का.जयपुर	खुला बन्दी शिविर से 22.06.2018 से 30.07.2023 तक फरार।
15.	सलीम उर्फ छोटिया पुत्र युसुफ खां	के.का.बीकानेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं)।
16.	दीपक पुत्र भंवरलाल	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
17.	भीकाराम पुत्र मीसाराम	के.का.अजमेर	दिनांक 09.01.2023, 12.01.2023 एवं 23.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
18.	हाशम पुत्र छोटु	के.का.अजमेर	दिनांक 12.10.2023 को जेल दण्ड से दण्डित।
19.	नरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार	के.का.बीकानेर	मूल प्रकरण के अतिरिक्त 07 अन्य प्रकरणों में और दण्डित होने के कारण।
20.	कालूराम पुत्र लच्छा भील	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 460 में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण।
21.	जगदीशचंद पुत्र प्यारचंद उर्फ प्यारेलाल	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 394 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित होने से।

5

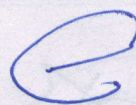
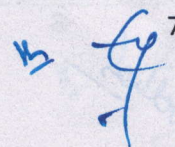
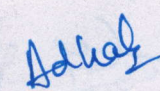
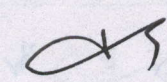
Adwal

22.	लालचंद पुत्र कालूराम	के.का.कोटा	दिनांक 27.10.2023 को जेल दण्ड से दण्डित।
23.	गुजरा खैर पुत्र कालिया खैर	के.का.उदयपुर	दिनांक 02.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
24.	मोहम्मद आसिफ उर्फ दाउद पुत्र मोहम्मद ईलियास	के.का.श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
25.	गफ्फार पुत्र अयूब खां	के.का.जोधपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
26.	विनोद पांचाल पुत्र नरोत्तमलाल	के.का.अलवर	03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं)।
27.	दीपक पुत्र बनवारी लाल	के.का.अलवर	दिनांक 04.12.2023 को बंदी खुला शिविर से फरारशुदा फरारी प्रकरण विचाराधीन(जमानत नहीं)।
28.	सोमसिंह उर्फ सोमू पुत्र लाला उर्फ चन्द्रमोहन	के.का.कोटा	दिनांक 19.07.2023 से 28.07.2023 तक खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा।
29.	निकुंज पुत्र योगेश	के.का.उदयपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
30.	विजय कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार	के.का.बीकानेर	दिनांक 24.05.2022 से 18.07.2023 तक खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा। फरारी प्रकरण विचाराधीन(जमानत नहीं)।
31.	सोनू पुत्र मूलचन्द	के.का.भरतपुर	दिनांक 14.06.2023 से 25.02.2024 तक खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा।
32.	विजेन्द्र सिंह पुत्र रावतदान	के.का.उदयपुर	03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत नहीं)।
33.	लटूर पुत्र आनन्दीलाल	के.का.कोटा	बन्दी खुला शिविर में कदाचार के कारण दिनांक 24.11.2023 को जेल दाखिल।
34.	कृष्ण उर्फ लादेन पुत्र हरचंद	के.का.अलवर	04 अन्य प्रकरणों पर विचाराधीन (01 में जमानत नहीं)।
35.	राहुल पुत्र लालाराम	वि.के.का. श्यालावास	05 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (02 में जमानत नहीं)।
36.	राहुल उर्फ बृजेश उर्फ विजय पुत्र बिरधीलाल	के.का.कोटा	02 से अधिक 05 प्रकरणों में दण्डित।
37.	श्यामलाल पुत्र हवजी	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।



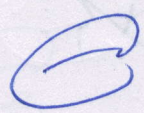
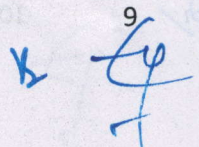
38.	कारूलाल पुत्र रामनारायण	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 460, 394 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
39.	इम्तियाज पुत्र रियाज एहमद	उ.सु.का.अजमेर	04 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन। (01 जमानत नहीं)
40.	शफीक उर्फ नाडा पुत्र रफीक उर्फ सोनी	के.का.अजमेर	दिनांक 11.05.2023 को जेल दण्ड से दण्डित।
41.	कालू पुत्र सुवालाल	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
42.	विजय मुर्मु उर्फ राजू पुत्र सुकुर मुर्मु	के.का.श्रीगंगानगर	बंदी खुला शिविर से दिनांक 07.06.2022 से 25.05.2024 तक फरारशुदा।
43.	विवेक पाण्डे पुत्र महादेव पाण्डे	के.का.जयपुर	प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित।
44.	गोपाल पुत्र हंसराज	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
45.	राधा शुक्ला पत्नी कप्तान शुक्ला	म.बं.सु.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
46.	सीताराम उर्फ कागला पुत्र हरजी	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
47.	सुरेश उर्फ सुरज मल पुत्र रकमा	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 392 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
48.	श्रवण कुमार पुत्र मोहनराम	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
49.	नोजीराम पुत्र खरता	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
50.	जगदीश उर्फ गब्बा पुत्र प्यारेलाल	के.का.कोटा	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित।
51.	कलाम पुत्र सलीम	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
52.	पप्पु लोहार पुत्र हीरालाल	के.का.उदयपुर	दिनांक 29.10.2023 को जेल दण्ड से दण्डित।

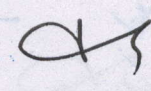





53.	रवि सिंह पुत्र राकेश सिंह	वि.के.का. श्यालावास	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत नहीं)
54.	कालुसिंह पुत्र भैरूसिंह	के.का.जोधपुर	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा। फरारी प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं)।
55.	सन्तोष उर्फ सन्ध्या पत्नी बनवारी लाल उर्फ बबली	म.ब.सु.जयपुर	प्रतिबंधित धारा 460 आईपीसी में 10 कठोर कारावास से दण्डित।
56.	भागीरथराम उर्फ बबलू पुत्र पप्पूराम	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 397 आईपीसी में 10 कठोर कारावास से दण्डित।
57.	समरजीत उर्फ सुरजीत पुत्र प्रेमपाल	के.का.अलवर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
58.	जाकिर हुसैन पुत्र मौहम्मद हुसैन	वि.के.का. श्यालावास	दिनांक 27.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
59.	कुलवेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र वगुल सिंह	के.का.भरतपुर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (01 जमानत नहीं)
60.	सकिया पुत्र साजू पारगी	के.का.उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत नहीं)।
61.	महावीर पुत्र शंकरलाल	के.का.उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत नहीं)
62.	नासिर खान पुत्र साजिद खान	के.का.उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत नहीं)
63.	अनिल चौधरी पुत्र हरवीर सिंह	के.का.जयपुर	04 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (03 में जमानत नहीं)।
64.	रामसन उर्फ रामचन्द्र पुत्र नारू	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 396 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित।
65.	किशन लाल पुत्र नानु राम गुर्जर	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 397, 460 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
66.	धनसीलाल उर्फ धरमसिंह धनसिंह पुत्र भरतलाल बैरवा	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 396 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं 460 में 10 वर्ष की कठोर कारावास से दण्डित।
67.	जगदीश पुत्र गिरधारी लाल	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित।
68.	देवेन्द्र पुत्र प्रेमचन्द	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 397, 460 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
69.	ओमप्रकाश पुत्र बीरबलराम	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 460 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

70.	रामप्रताप पुत्र पृथ्वीराज	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 460 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
71.	लुणाराम पुत्र बीरबलराम	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 460 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
72.	नानुराम पुत्र बीरबलराम	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 460 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
73.	नितेश कुमार पुत्र सुदेश	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 460 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित। 04 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
74.	शाहरूख उर्फ वहीद पुत्र मोहम्मद फारूख	जि.का.टोंक	दिनांक 25.06.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
75.	आमिर उर्फ चट्टान पुत्र मोहम्मद रफीक	के.का.अजमेर	दिनांक 12.10.2023 को जेल दण्ड से दण्डित।
76.	फूलसिंह यादव पुत्र पुन्ना यादव	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 392 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
77.	गोपाल पुत्र लेहरुलाल	के.का.उदयपुर	दिनांक 02.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
78.	भोलू पुत्र तैयबअली	के.का.भरतपुर	दिनांक 09.08.2023 एवं 18.11.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
79.	तैयबअली पुत्र जहूर अली	के.का.भरतपुर	दिनांक 09.08.2023 को जेल दण्ड से दण्डित।
80.	धर्मेश उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र कान्तिलाल	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 398 व 392 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
81.	अताउल्लाह खान पुत्र इनामुल्लाह खान	के.का.अजमेर	वर्ष 2023 में दो बार तथा दिनांक 23.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
82.	संजय पुत्र गंगाराम	के.का.कोटा	03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (02 प्रकरण में जमानत नहीं)
83.	सोनम उर्फ सोनू पुत्र रामचन्द्र	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 394/120 बी व 397/120बी आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
84.	राजेश कुमार उर्फ राजेश शेरपाला पुत्र महावीर प्रसाद	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 394 एवं 397 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर

9



			कारावास से दण्डित।
85.	जगदीश पुत्र विश्राम	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 398 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
86.	फतेहसिंह पुत्र मनोहरीलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 398 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
87.	सुभाष उर्फ रोहित पुत्र महीराम	के.का.उदयपुर	03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं)।
88.	इब्रा उर्फ इबरान पुत्र ममरेज	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 395 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन(जमानत नहीं)।
89.	शम्भुलाल पुत्र लादुलाल	के.का.उदयपुर	पोक्सो एक्ट में दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं)।
90.	राजू पुत्र लालाराम	के.का.जोधपुर	05 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (04 प्रकरण में जमानत नहीं)
91.	रूपा पुत्र कमजी	के.का.उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं)।
92.	अतर सिंह उर्फ अजय पुत्र शेर सिंह मीणा	के.का.जयपुर	पोक्सो एक्ट में दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।

(ब) अग्रेषित प्रकरण:-

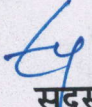
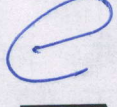
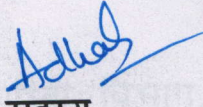
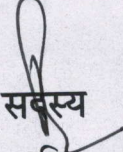
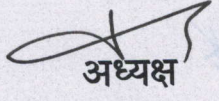
समिति द्वारा गत दो वर्षों में बंदी द्वारा नियमित पैरोल भुगती गई अथवा नहीं? नहीं भुगते जाने का कारण स्पष्ट होने एवं गत दो वर्षों में आचरण/जेल सेवा में चाल-चलन कैसा रहा, की टिप्पणी संबंधित जेल अधीक्षक से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	अग्रेषित का कारण
1.	केसर सिंह पुत्र औंकार सिंह	के.का.कोटा	पैरोल से दिनांक 10.12.2017 से 12.01.2020 तक फरारशुदा।
2.	धर्मेन्द्र सिंह उर्फ राजु उर्फ वीरू उर्फ जोनी पुत्र तरसेम सिंह	के.का.बीकानेर	पैरोल से दिनांक 28.09.2010 से 10.02.2015 तक फरार होने के कारण।
3.	सूबे उर्फ सूबेदार पुत्र	के.का.भरतपुर	खुला बंदी शिविर से दिनांक

	डरेलाल		01.05.2021 से 02.05.2021 तक फरार होने के कारण।
4.	विजय सिंह पुत्र हल्के मीणा उर्फ रामचरण	के.का.भरतपुर	दिनांक 10.05.2007 से 14.08.2016 तक आपात पैरोल से फरारशुदा एवं 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
5.	मेहरबान पुत्र रामलाल	के.का.कोटा	दिनांक 03.08.2023 को जेल दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण। एफ.आई.आर दर्ज हुई अथवा की प्रति हेतु।
6.	रघुवीर पुत्र हरिराम	के.का.श्रीगंगानगर	बंदी द्वारा पूर्व में बंदी खुला शिविर में निरुद्धी के दौरान किये गये आपराधिक कृत्य एवं जेल सेवा में किये गये कार्य की स्थिति स्पष्ट होने पर।
7.	शंकर सिंह पुत्र नाथूसिंह	जि.का.टोंक	दिनांक 23.10.2021 से 11.11.2021 तक खुला बंदी शिविर पेट्रोल पम्प जयपुर से पैसे लेकर फरारशुदा।
8.	रमेश पुत्र किशनलाल	के.का.भरतपुर	दिनांक 22.05.1996 से 30.08.2017 तक पैरोल से फरारशुदा।
9.	सोहनलाल उर्फ वक्ता पुत्र वज्जा माईडा	के.का.उदयपुर	दिनांक 18.10.2016 से 27.10.2016 तक पैरोल से फरारशुदा।
10.	पप्पूराम पुत्र देवाराम	के.का.जोधपुर	दिनांक 02.03.2007 से 10.05.2021 तक पैरोल से फरारशुदा।
11.	प्रभुराम पुत्र ओबाजी	के.का.जोधपुर	दिनांक 16.07.2019 से 14.12.2019 तक पैरोल से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन।
12.	कौशल उर्फ सोनू पुत्र कानचन्द	के.का.बीकानेर	पैरोल से दिनांक 20.02.2004 से 22.08.2016 तक फरारशुदा।
13.	गोपाल लाल पुत्र मन्ना	के.का.उदयपुर	पैरोल से 03.12.2012 से 21.01.2021 तक फरार।
14.	बनवारी पुत्र गणेश	के.का.बीकानेर	दिनांक 02.11.2014 से 18.11.2020 तक पैरोल से फरारशुदा।
15.	संजय सिंह उर्फ	के.का.उदयपुर	पैरोल से दिनांक 25.07.2016 से

	शैतान सिंह पुत्र मोती सिंह		09.12.2019 तक फरारशुदा।
16.	अनिल उर्फ भाया पुत्र चम्पालाल	के.का.जोधपुर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
17.	बाबूलाल पुत्र भँवरनाथ उर्फ भँवरलाल	वि.के.का. श्यालावास	पैरोल से दिनांक 24.07.2002 से 29.04.2017 तक फरारशुदा।
18.	डालूराम पुत्र ताराराम	के.का.जोधपुर	पैरोल से दिनांक 02.03.2021 से 24.06.2021 तक फरारशुदा।
19.	शिवराज पुत्र श्रवण लाल	के.का.श्यालावास	दिनांक 06.07.2009 से 16.11.09 तक पैरोल से फरारशुदा।
20.	चैनाराम पुत्र भंवर लाल गुर्जर	के.का.बीकानेर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन है।
21.	रमेश पुत्र हीरालाल	के.का.बीकानेर	दिनांक 01.05.2023 से 19.05.2023 तक बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा। फरारी प्रकरण विचाराधीन। (जमानत नहीं)।
22.	आरिफ मोहम्मद कुरेशी पुत्र मोहम्मद ईशाक उर्फ कालू कबाडी	के.का.जयपुर	दिनांक 18.08.2023 से 28.08.2023 तक खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा। फरारी प्रकरण विचाराधीन।
23.	कल्याण सिंह पुत्र लखपतसिंह	के.का.जोधपुर	दिनांक 23.08.2023 से 27.08.2023 तक खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा। फरारी प्रकरण विचाराधीन।
24.	रफीक उर्फ बकरी चोर पुत्र हाफिज खान	के.का.जयपुर	02 अन्य प्रकरणों विचाराधीन एफ.आई.आर. की प्रति प्राप्त होने हेतु।
25.	बलराम उर्फ बल्ला पुत्र हरिकेश	के.का.जयपुर	कदाचार के कारण दिनांक 22.10.2024 को जेल दाखिल। कदाचार के विवरण हेतु।
26.	भैरू उर्फ भैरू भील पुत्र धन्ना	के.का.उदयपुर	पैरोल से दिनांक 05.09.2021 से 25.11.2021 तक फरारशुदा।
27.	दिनेश पुत्र रूपलाल डांगी	के.का.जयपुर	पैरोल से दिनांक 19.10.2024 से 21.10.2024 तक फरारशुदा।
28.	वीराराम उर्फ वीरमाराम पुत्र हुकमाराम	के.का.जोधपुर	दिनांक 12.05.2018 से 02.10.2024 तक कुल 06 वर्ष 04 माह 24 दिवस पैरोल से फरारशुदा।

29.	सुरेश पुत्र प्रहलाद	के.का.कोटा	दिनांक 02.11.2017 से 22.05.2022 तक पैरोल से फरारशुदा।
30.	दीपक शर्मा उर्फ पटेल पुत्र ओमप्रकाश	के.का.बीकानेर	दिनांक 21.07.2020 से 23.04.2021 तक पैरोल से फरारशुदा।
31.	खान बहादुर पुत्र मीर मोहम्मद	के.का.उदयपुर	04 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन। (02 प्रकरणों में जमानत नहीं)
32.	पवन कुमार पुत्र रामलाल	के.का.जोधपुर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन की धारा स्पष्ट होने हेतु।
33.	कमलेश पुत्र लक्ष्मण	के.का.बीकानेर	पैरोल से दिनांक 02.07.2019 से 25.03.2024 तक फरारशुदा।
34.	नईम अख्तर उर्फ नईम राजा पुत्र मोहम्मद ऐसान	के.का.उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
35.	रमेश पुत्र नेमीचन्द	उ.सु.का.अजमेर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन की धारा स्पष्ट होने हेतु।
36.	प्रिया सेठ उर्फ नेहा सेठ पुत्री अशोक सेठ	म.बं.सु.जयपुर	03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन की धारा स्पष्ट होने हेतु।

 सदस्य मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	 सदस्य उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।	 सदस्य सयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	 सदस्य महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	 सदस्य अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	 अध्यक्ष महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
---	--	---	--	---	--